

26 <sup>2</sup>/<sub>21</sub>

अधिकांश प्रार्थी उपर नहीं है अधिक प्रार्थी  
 उपर ही प्रार्थी व इसके अधिक को मार 2  
 आवाजें लगाने जाने पर भी उपर नहीं है  
 से धारणा पर प्रार्थी अलग हाजिरी अलग फेरी  
 में खारिज कि जायगा असाई सिधे जायगा

श्रील कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज जवादीश / गोपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो दूर हुकम की तामील में जारी हूड
	<p>आदेश दि० 25/12/2019 को भी अफाहत किया                      गया है तहसील जारी हो। प्रवावली के सल                      सुनार लेखक हर्ज नम्बर से हो है। इन्हें                      स्थल न्यायालय में सुनाया है। सबन सुन                      वाद रहे।</p> <p style="text-align: center;">Ruly</p>	